LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Thursday, 28 May, 2020/ 07, Jyeshtha, 1942(Shaka)

No. 23

Sub: Election of three representatives of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi to Delhi Development Authority.

Hon'ble Members are hereby informed that in accordance with Section 3(3)(f) of the Delhi Development Act, 1957, the following three Members are hereby declared elected to the DDA unopposed:-

- 1. Shri Dilip Kumar Pandey
- 2. Shri Somnath Bharti
- 3. Shri Om Prakash Sharma

C. Velmurugan Secretary

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

वीरवार, 28 मई, 2020 / 07, ज्येष्ट, 1942 (शक्)

संख्या– 23

विषय:— दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन।

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(एफ) के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व हेतु निम्नलिखित तीन सदस्यों को, दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए एतद्द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है:-

- 1. श्री दिलीप कुमार पाण्डेय
- 2. श्री सोमनाथ भारती
- 3. श्री ओम प्रकाश शर्मा

सी. वेलमुरूगन सचिव